

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :-201/2024

1. हरविन्द्र सिंह पुत्र हरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादी

बनाम

1. अजमेरसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अमरीकसिंह पुत्र ब्रह्मासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. जसपालसिंह पुत्र उज्जवलसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. बलवीरसिंह पुत्र ब्रह्मासिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. गुरसेवकसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. गुरमीतकौर पुत्री रणजीतसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली हाल आबाद दमदमा तहसील रानियां जिला सिरसा।
7. गुरदीपकौर पत्नी रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. हरमीत कौर पुत्री रणजीतसिंह पत्नी हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मिर्जापुर तहसील व जिला सिरसा हरि0।
9. रूपिन्द्र कौर पुत्री रणजीतसिंह पत्नी तेजपाल सिंह जाति जटसिख निवासी अमृतसर खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
10. खुशपिन्द्र कौर पुत्री रणजीतसिंह पत्नी जसवीरसिंह जाति जटसिख निवासी मतूवाला तहसील व जिला सिरसा।
11. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा, खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 02.09.2024

वादी की ओर से श्री परमजीतसिंह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री श्योकतअली की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.09.24 को स्वाति गुप्ताआरएएस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि (क)वादी हरविन्द्र को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 197/277(3) किला नम्बर 22, 23

- (ख) प्रतिवादी संख्या 1 अजमेर सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 197/277(3) किला नम्बर 19/0.169, 18/0.168, 17/0.169 प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम।
- (ग) प्रतिवादी संख्या 2 अमरीक सिंह को प्राप्त भूमि :- चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 197/277(3) किला नम्बर 12/0.085, 13/0.083, 14/0.085 प्रत्येक किला के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम, 19/0.084, 18/0.085, 17/0.084 प्रत्येक किला के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम।
- (घ) प्रतिवादी संख्या 3 जसपाल सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 197/277(3) किला नम्बर 12/0.168, 13/0.170, 14/0.168 प्रत्येक किला के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम।
- (ङ) प्रतिवादी संख्या 4 बलवीर सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 197/277(3) किला नम्बर 6, 7
- (च) प्रतिवादी संख्या 5 गुरसेवक सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 197/277(3) किला नम्बर 8, 9

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के खाता संख्या 280/112 में से गुरमेलसिंह उर्फ गुरमीत सिंह का नाम कलमजन व चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के खाता संख्या 280/112, इसी चक के खाता संख्या 281/35, खाता संख्या 16/36 में से रणजीतसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शा के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		